राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 402/2016

डॉ. अनुराग शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर–302005
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर–302005
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.03.2016
आदेश की दिनांक : 31.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.11.2001 जो नियमित चयन से पूर्व दिनांक 15.09.2008 की स्क्रीनिंग पश्चात् से राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 के प्रकाश में सेवा की गणना की जावे तथा नियमित वेतनमान का लाभ दिनांक 13.11.2001 से 15.09.2008 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान किया जावे और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत जो वेतन बढाया जाता है, परंतु नियमित नियुक्ति के समय उक्त वेतन वृद्धि को कम कर दिया गया, उसे भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें और नियमित सेवा में 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ भी प्रथम नियुक्ति दिनांक

13.11.2001 से गणना करते हुये प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश भी फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी की अत्यावश्यक भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और चयनित प्रक्रिया के आधार पर अपीलार्थी का चयन हुआ। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति समेकित वेतन रूपये 8000/– प्रति माह पर 5 माह के लिये और बाद में 6 माह के लिये अपीलार्थी की सेवायें और बढा दी गई। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.2003 जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के वेतन 2 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत एवं प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढाने का उल्लेख किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.11.2003 के द्वारा मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम के पद पर उसे बीकानेर में पदस्थापित किया गया। वर्ष 2005 में अपीलार्थी ने एमडी/एमएस डिप्लोमा कोर्स हेतु चयन किया गया और आदेश दिनांक 19.04.2005 के द्वारा अपीलार्थी को भेजा गया और अपीलार्थी को दिनांक 27.04.2005 को उक्त कोर्स हेतु कार्यमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित कर भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी का भी चयन हुआ और अपीलार्थी 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखा गया तथा परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे सीएचसी, अनूपगढ़ पदस्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ नहीं दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 31/1985 ललित कृष्ण गोथेचा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3876/1990 राजस्थान राज्य व अन्य में भी ऐसे मामलों को सही माना है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.11.2001 जो नियमित चयन से पूर्व दिनांक 15.09.2008 की स्क्रीनिंग पश्चात् से राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 के प्रकाश में सेवा की गणना की जावे तथा

नियमित वेतनमान का लाभ दिनांक 13.11.2001 से 15.09.2008 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान किया जावे और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत जो वेतन बढाया जाता है, परंतु नियमित नियुक्ति के समय उक्त वेतन वृद्धि को कम कर दिया गया, उसे भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें और नियमित सेवा में 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ भी प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.11.2001 से गणना करते हुये प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश भी फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति संविदा/समेकित वेतन चिकित्सक पर होने के कारण अध्ययन अवकाश देय नहीं था और समेकित वेतन की दर से भुगतान किया गया। अपीलार्थी को विभागीय आदेश द्वारा स्क्रीनिंग कर नियमित एसीपी दिनांक 15.09.2008 से दिये गये। जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम सरकार व अन्य में यह निर्णित किया गया है कि कर्मचारी को नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान देय होगा। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी की अत्यावश्यक भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और अपीलार्थी का चयन हुआ। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति समेकित वेतन रूपये 8000/– प्रति माह पर 5 माह के लिये और बाद में 6 माह के लिये अपीलार्थी की सेवायें और बढा दी गई। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित कर भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी का भी चयन हुआ और अपीलार्थी 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखा गया तथा परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे सीएचसी, अनूपगढ़ पदस्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। जहां तक अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम

प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि जगदीश नारायण चतुर्वेदी वाले मामले में नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय किया गया है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति समेकित वेतन पर 5 माह के लिये और तत्पश्चात् 6 माह के लिये और सेवायें बढ़ा दी गई, तदुपरांत अपीलार्थी का चयन प्रक्रिया आधार पर नियमित सेवा में चयन हुआ। परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये दिया गया है। जबकि प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित आधारों का उल्लेख करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित आदेशों को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य